

वदिशी अंशदान से संबंधित नयिमों में परिवर्तन

प्रलिस के लयि

वदिशी अंशदान (वनियिमन) अधनियिम, 2010

मेन्स के लयि

वदिशी अंशदान के वनियिमन की आवश्यकता, नयिमों में कयि गए परिवर्तन और उनकी आलोचना

चर्चा में क्यो?

गृह मंत्रालय ने वदिशी अंशदान से संबंधित नयिमों को और कठोर बनाने के उद्देश्य से वदिशी अंशदान (वनियिमन) अधनियिम, 2010 के तहत नए नयिम अधिसूचित कयि हैं।

प्रमुख बदि

■ नए नयिम

- गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नयिमों के अनुसार, कसि भी संगठन के लयि वदिशी अंशदान (वनियिमन) अधनियिम (FCRA) के तहत स्वयं को पंजीकृत कराने हेतु कम-से-कम तीन वर्ष के लयि अस्तित्व में होना आवश्यक है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उस संगठन ने समाज के लाभ के लयि गत तीन वर्षों के दौरान अपनी मुख्य गतिविधियों पर न्यूनतम 15 लाख रुपए खर्च कयि हों।
 - हालाँकि असाधारण मामलों में केंद्र सरकार को कसि संगठन को इन शर्तों से छूट देने का अधिकार है।
- वदिशी अंशदान (वनियिमन) अधनियिम (FCRA) के तहत पंजीकरण कराने वाले संगठनों के पदाधिकारियों को वदिशी योगदान की राशि और जसि उद्देश्य हेतु वह राशि दी गई है, के लयि दानकर्त्ता से एक वशिष्ट प्रतबिधता पत्र जमा कराना होगा।
- यदि भारतीय प्राप्तकर्त्ता संगठन और वदिशी दानकर्त्ता संगठन में कार्यरत लोग एक ही हैं तो भारतीय संस्था को अंशदान प्राप्त करने के लयि पूर्व अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब-
 - प्राप्तकर्त्ता संगठन का मुख्य अधिकारी दानकर्त्ता संगठन का हसिसा नहीं है।
 - प्राप्तकर्त्ता संगठन के पदाधिकारी अथवा शासी निकाय के सदस्यों में से 75 प्रतिशत लोग वदिशी दाता संगठन के सदस्य या कर्मचारी नहीं हैं।
- यदि वदिशी दानकर्त्ता एकल व्यक्ति है तो यह आवश्यक है कि-
 - वह व्यक्ति प्राप्तकर्त्ता संगठन का पदाधिकारी न हो।
 - प्राप्तकर्त्ता संगठन के पदाधिकारी अथवा शासी निकाय के सदस्यों में से 75 प्रतिशत लोग वदिशी दानकर्त्ता के रशितेदार न हों।
- वदिशी अंशदान (वनियिमन) अधनियिम (FCRA) के तहत पंजीकरण के लयि आवेदन शुल्क 3,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दयिा गया है।
- इसके अलावा संशोधन के माध्यम से FCRA नयिम, 2011 में एक नया खंड शामिल कयिा गया है, जसिमें कहा गया है कि नयिम के खंड V और VI में उल्लिखित समूह यदि कसि भी तरह से सक्रयि राजनीति में भाग लेते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक समूह माना जाएगा।
 - राजनीतिक संगठनों अथवा 'सक्रयि राजनीति' में हसिसा लेने वाले संगठनों पर वदिशी अंशदान प्राप्त करने से रोक लगाई गई है।

ध्यातव्य है कि FCRA नयिम, 2011 के नयिम 3 के खंड V और खंड VI कसिनो, शर्मकों, छात्रों, युवाओं तथा जाति, समुदाय, धर्म अथवा भाषा के आधार पर बनने वाले ऐसे संगठनों से संबंधित है, जो प्रत्यक्ष तौर पर कसि भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, कतिु वे अपनी गतिविधियों के माध्यम से अपने हतियों को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही ऐसे समूह भी जो अपने हति के लयि राजनीतिक गतिविधियों जैसे कि बंद, हड़ताल और रास्ता रोक आदि में संलग्न होते हैं।

प्रभाव

- सरकार के इस नरिणय से गैर-सरकारी संगठनों के लयि वदिशों से अंशदान प्रापूत करना और भी चुनौतीपूरण हो जाएगा ।
- ध्यातव्य है कइ इससे पूरव सतिंबर माह में जब संसद ने [वदिशी अंशदान वनियिमन \(संशोधन\) वधियक, 2020](#) पारति कयि था, तब न्यायवदिों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग (ICJ) समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधकार संगठनों ने सरकार के इस कदम की आलोचना की थी ।
- कई आलोचक मानते हैं कइ सरकार द्वारा इन संशोधनों का उपयोग ऐसे संगठनों के वरिद्ध कार्यवाही करने के लयि कयि जा रहा है, जो सरकार के वरिद्ध बोल रहे हैं ।

वदिशी अंशदान (वनियिमन) अधनियिम, 2010 में संशोधन

- संशोधन के माध्यम से गैर-सरकारी संगठन (NGOs) या वदिशी योगदान प्रापूत करने वाले लोगों और संगठनों के सभी पदाधकारियों, नदिशकों एवं अन्य प्रमुख अधकारियों के लयि आधार (Aadhaar) को एक अनवर्य पहचान दस्तावेज़ बना दयि गया था ।
- संशोधन के बाद अब कोई भी व्यकूत, संगठन या रजसिटरड कंपनी वदिशी अंशदान प्रापूत करने के पश्चात् कसिी अन्य संगठन को उस वदिशी योगदान का ट्रांसफर नहीं कर सकती है ।
- वदिशी अंशदान केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), नई दलिली की उस शाखा में ही प्रापूत कयि जाएगा, जसि केंद्र सरकार अधसिचति करेगी ।
- अब कोई भी गैर-सरकारी संगठन (NGO) वदिशी अंशदान की 20 प्रतिशत से अधकि राशकि इस्तेमाल प्रशासनकि खर्च पर नहीं कर सकता है ।
- ध्यातव्य है कइ सरकार द्वारा कयि गए इन संशोधनों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना की गई थी ।

पृष्ठभूमि

- वदिशी अंशदान को नयितरति करने के उद्देश्य से वदिशी अंशदान (वनियिमन) अधनियिम को सर्वप्रथम वर्ष 1976 में अधनियिमति कयि गया, जसिके बाद वर्ष 2010 में वदिशी अंशदान को नयितरति करने से संबंधति नए उपाय अपनाए गए और वदिशी अंशदान (वनियिमन) अधनियिम को संशोधति कयि गया ।
 - इस अधनियिम का प्राथमकि उद्देश्य यह सुनशिचति करना है कइ अंशदान के कारण भारत की आंतरकि सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।
- यह अधनियिम उन सभी संघों, समूहों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) पर लागू होता है जो कसिी भी उद्देश्य के लयि वदिशों से अनुदान प्रापूत करते हैं ।
- इस अधनियिम के तहत वधियकि और राजनीतिक दलों के सदस्य, सरकारी अधकारी, न्यायाधीश तथा मीडियिकरमी आदि को कसिी भी प्रकार के वदिशी अंशदान प्रापूत करने से प्रतबिंधति कयि गया है ।

स्रोत: द हट्टि